

दिनांक 15.06.2018 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन कार्यालय, रोहतक में श्रीमती रेणु डाबला, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सदन की सामान्य बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित पार्षदगण उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
2. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
3. श्रीमती ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-02, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
5. श्री सूरजमल, सदस्य वार्ड नं0-05, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमती सरिता, सदस्य वार्ड नं0-06, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0 10, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री गुलशन ईशुनियानी, सदस्य वार्ड नं0 12, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री जयकिशन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक।
11. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
12. श्री जयभगवान सैनी, मनोनित सदस्य, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री मदन लाल कुरडा, मनोनित सदस्य, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री विजय कुमार, मनोनित सदस्य, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया ने बैठक में उपस्थित सभी पार्षदगणों तथा अधिकारियों का स्वागत किया। तत्पश्चात दिनांक 20.03.2018 की सदन की बैठक हुई बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट पत्र क्रमांक एम.सी.आर./सीएमसी/2018/2519-44 दिनांक 13.06.2018 द्वारा सभी

सदस्यगण को भिजवा दी गई थी। सदन में इस कार्यवाही रिपोर्ट पर किसी भी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। अतः इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके उपरान्त उपस्थित पार्षदों द्वारा मेयर महोदय की स्वीकृति से सदन में निम्न बिन्दु सदन में रखे गये:-

क्रम संख्या	बिंदू	निर्णय
1.	सिंहपुरा रोड पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है इसका कोई हल निकाला जाये।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भविष्य में डी-लान के तहत सिंहपुरा रोड पर पीने के पानी के लिए ब्रुस्टर का निर्माण करवाया जाये। (कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
2.	वार्ड नं0 19 के पार्षद श्री अनिल द्वारा सदन को अवगत करवाया कि वार्ड नं0 19 शीतल नगर में लगभग 4 एकड़ भूमि खाली पड़ी है उस पर सामुदायिक केंद्र व पार्क का निर्माण करवाया जाये।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
3.	वार्ड नं0 19 कमला नगर में स्थित शमशान घाट कर टैण्डर किया गया था परन्तु उसका कार्य अधूरा है। अतः शमशान घाट का कार्य जल्द पूर्ण करवाया जाये।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
4.	वार्ड नं0 19 के पार्षद श्री अनिल द्वारा सदन को अवगत करवाया कि वार्ड नं0 19 में एक गली में श्री बलदेव सिंह शास्त्री स्वतंत्रता सैनानी का बोर्ड लगवाया जाये।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
5.	वार्ड नं0 05 के पार्षद श्री सूरजमल ने अपने कार्यकाल के दौरान नगर निगम से किसी भी प्रकार का कोई वेतन/भत्ता न लेकर सेवा भावना से कार्य किया।	सदन द्वारा वार्ड नं0 05 के पार्षद श्री सूरजमल ने अपने कार्यकाल के दौरान नगर निगम से किसी भी प्रकार का कोई वेतन/भत्ता न लेकर सेवा भावना से कार्य करने पर उनका अभार व्यक्त किया।


6.	<p>गांव बोहर में लोगो द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है जिसे रोका जाये व कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुध FIR करवाई जाये।</p>	<p>इस बारे भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक ने सदन को अवगत करवाया कि पुलिस अधीक्षक को पहले ही कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुध FIR के लिए पत्र लिखा जा चुका है तथा समरण पत्र भी भेजा जा चुका है। अतः जल्द ही एक समरण पत्र भी लिख दिया जायेगा। (उप निगम आयुक्त व भू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p>
7.	<p>मेयर, नगर निगम द्वारा नगर निगम, रोहतक द्वारा उनके कार्यकाल में करवाये गये मुख्य विकास कार्यों के बारे में सदन को अवगत करवाया जिनकी सूची निम्न है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इस सदन के कार्यकाल में कुल 281.97 करोड़ के कार्य करवाए गए। 2. अप्पुघर का कार्य 6 करोड़ 85 लाख का कार्य प्रगति पर है। 3. मानसरोवर पार्क का सौन्दर्यकरण किया गया। 4. महावीर पार्क का सौन्दर्यकरण किया गया। 5. देवीलाल पार्क का कार्य प्रगति पर है। 6. सफाई व्यवस्था में सुधार करवाया, घर-घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई व Solid Waste Plant का संचालन करवाया। 7. चौको का सौन्दर्यकरण करवाया गया। 8. सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया। 9. खोखरा कोट व रैनकपुरा जोकि अति पिछड़े क्षेत्र थे उनमें विकास कार्य करवाए। 10. ग्रामीण क्षेत्रों में शहर की तर्ज पर विकास कार्य करवाए। 11. किला रोड़ का सौन्दर्यकरण करवाया। 12. रेलवे रोड का सौन्दर्यकरण करवाया। 	<p>इस बारे मेयर, नगर निगम, रोहतक व बैठक में उपस्थित सभी पार्षदगणो द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का विकास कार्य करवाने के लिए धन्यवाद किया गया व भविष्य में भी इसी प्रकार से कार्य करवाने के लिए प्रेरित भी किया।</p>

13. रेलवे स्टेशन से मालगोदाम रोड़ तक नई सड़क का निर्माण करवाया।
14. 1918 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करवाया।
15. गौकर्ण सरोवर का सौन्दर्यकरण करवाया।
16. शहर के कई पार्को का सौन्दर्यकरण करवाया।
17. सैक्टर 1,2,3,4 व 14 की सड़को की मरम्मत करवाई।
18. सैक्टर 1,2,3 व 4 के कई पार्को का सौन्दर्यकरण करवाया तथा शेष भी शीघ्र करवाए जायेंगे।

8. पीने के पानी की समस्या व सीवरो की सफाई न होने बारे।


सभी पार्षदगण द्वारा अपने-अपने वार्ड में पीने की पानी की समस्या व सीवरो की सफाई न होने बारे बताया गया।
(14कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)

इसके उपरान्त मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।


मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

दिनांक 20/6/18

- क्रमांक M CR/Mayor/2018/2660-63
उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-
1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
 2. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सोंपला किलोई।
 3. श्री मनीष ग्रोवर, विधानसभा सदस्य, रोहतक।
 4. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।


मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2018/2664-75

दिनांक 20/6/18

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रोहतक।
6. अधीक्षक अभियंता, उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, रोहतक।
7. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
8. सिविल सर्जन, रोहतक।
9. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
10. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक।
12. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।


मेयर,

नगर निगम, रोहतक।